राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांकःप.8(44)(५) प.आ./R.S.S.B./लि.ग्रे.II/कनि.सहा.सं.सी.भ.प./2018/352 दिनांकः 22.08.2019

<u>विज्ञप्ति</u>

बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा– 2018 के द्वितीय चरण (Phase-II) की परीक्षा दिनांकः 03.09.2019 से 06.09.2019 तक कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण ऑनलाईन आयोजित की जा रही है।

अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश पत्र दिनांक 26.08.2019 को अपरान्ह 02:00 बजे से यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाईट अथवा स्वयं के SSO ID के माध्यम से डाउनलोड़ कर लेवें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

अभ्यर्थी द्वारा टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण हेतु कम्प्यूटर शुल्क ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की **SSO ID** पर उपलब्ध लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा– 2018 के Admit Card Section पर जाकर यथाशीघ्र ऑनलाईन जमा कराया जा सकता है। कम्प्यूटर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड़ नहीं कर सकेंगे।

E-Mitra कियोस्क के माध्यम से कम्प्यूटर शुल्क जमा कराने हेतु **E-Mitra ID** से **Login** कर **Utility** पर जाकर **Search Option** पर **RSSB- Print Admit card of Direct Joint Recruitment of Clerk Grade-II or Junior Assistant Exam- 2018** पर **Click** कर **Get Admit Card** पर जाने के पश्चात अभ्यर्थी की **Application Number** अथवा उसकी **SSO ID** अंकित कर अभ्यर्थी का कम्प्यूटर शुल्क जमा करवाया जा सकता है।

परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट का लिंक दिनांक 02.09.2019 तक बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा, जिसका अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर लेवें।

परीक्षार्थी निम्नलिखित मुख्य अनुदेशों का भी गंभीरता से अवलोकन करें :–

1. ई–प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
2. परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों की उपस्थिति केन्द्र पर फोटो खींचकर एवं बायोमेट्रिक मशीन से भी की जावेंगी अतः रिपोर्टिंग के लिए नियत समय पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावें, ताकि तलाशी एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी एवं बायोमेट्रिक प्रक्रिया में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी हैः– ई–एडमिट कार्ड, 2.5c.m.X2.5c.m.साइज के नवीनतम एक रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु), नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, पहचान हेतु एक अतिरिक्त फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (मूल) जैसेः– मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
4. परीक्षा केन्द्र के परिसर में उक्त सामग्री के अलावा अन्य किसी प्रकार का पैन, पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घडी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाईड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड/केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। **केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लावें।**
5. बोर्ड के निर्देशों का उल्लघंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर आपकी

7. किसी परीक्षार्थी को ई–एडमिट कार्ड साथ नहीं लाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
8. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
9. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें। किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
10. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
11. **परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दिनांक को परीक्षा प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से 1½ घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें** ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
12. परीक्षा केन्द्र में फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।
13. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें।
14. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है जिसकी पालना अनिवार्य है। :–
    (i) पुरूष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी–शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेंगे।
    (ii) महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा कर आवेंगी।
    (iii) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जडाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
    (iv) परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूडियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर नहीं आ सकेंगे।
    (v) परीक्षार्थी परीक्षा में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे।
    (vi) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
    ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
15. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
16. **परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।**
17. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

(डॉ. मुकुट बी. जांगिड़)
सचिव